BCCI BULLETIN

Vol. 56 | January 2025 | No. 01

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

चैम्बर में 76वां गणतंत्रता दिवस समारोह आयोजित

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज प्रांगण में 26 जनवरी 2025 को पूर्वाहन 11 बजे चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी द्वारा राष्ट्रध्वज फहराकर 76वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित सदस्यों ने एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की शुभ कामनाएं दीं।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी ने ध्वजारोहण के पश्चात कहा कि आज हम 76वां गणतंत्रता दिवस मना रहे हैं, जो 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को अपनाने का प्रतीक है। यह दिन हमें डॉ० भीम राव अम्बेडकर जैसे महान नेताओं की दूरदर्शिता की याद दिलाता है। यह दिन हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन हमने अंग्रेजों के नियम-कायदों से हटकर अपना अलग संविधान तैयार करके उसे लागू किया।

श्री पटवारी ने बताया कि गणतंत्र दिवस कैलेंडर में दिया गया महज एक तारीख नहीं है। यह दिन एक ऐसा अवसर है जब हमें भारत के नागरिक होने के साथ-साथ अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को याद दिलाता है। गणतंत्र दिवस हमारे सैकड़ों भाषाओं, परम्पराओं एवं सांस्कृतिक विविधता का उत्सव है। संविधान हमें एक राष्ट्र के रूप में साथ रहने का खाका देता है और यह सुनिश्चित करता है कि हर भारतीय को न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता तक आसान पहुंच हो।

इस कार्यक्रम में चैम्बर की ओर से उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, पूर्व अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, श्री विशाल टेकरीवाल, श्री राजेश जैन, श्री अमर अग्रवाल, श्री पी० के० सिंह, श्री राजा बाबु गुप्ता, डॉ रमेश गाँधी, श्री आशीष अग्रवाल, श्री शशी गोयल, श्री पवन भगत, श्री महावीर प्रसाद बिदासरिया, श्री आशीष प्रसाद, श्री अजय गुप्ता, श्री सुनील सराफ, श्री राकेश कुमार, मो० बहजाद करीम, श्री संजय बैद, श्री गणेश खेमका, श्री उत्पल सेन, श्री आलोक पोद्दार, ई० राकेश कुमार एवं अन्य सम्मानित सदस्य सम्मिलित हुए ।

चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल नव पदस्थापित वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से मिला

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के एक प्रतिनिधिमंडल ने चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी के नेतृत्व में पटना के नव पदस्थापित वरीय पुलिस अधीक्षक श्री अवकाश कुमार, भा.पु.से. से दिनांक 7 जनवरी, 2025 को उनके कार्यालय कक्ष में औपचारिक मुलाकात की एवं पटना के विधि-व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने को विस्तृत विचार-विमर्श किया।

प्रतिनिधिमंडल में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय एवं पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल सम्मिलित थे।

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

माननीया वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण 01 फरवरी, 2025 को अपना आठवॉ बजट 2025–26 संसद में पेश करेंगी। 50 लाख करोड़ रूपये से अधिक का बजट होने का अनुमान है।

चैम्बर की ओर से बजट पूर्व ज्ञापन में माननीया वित्त मंत्री से पत्र द्वारा कई मांग की गई है। ज्ञापन में राज्य के आर्थिक विकास से संबंधित सुझाव दिये गये जिसमें राज्य को फ्रेट इक्वलाइजेशन और खनिज पर रायल्टी, राज्य में बार–बार बाढ़ आना, बिहार का तीन बार विभाजन के उपरान्त उपयुक्त मुआवजा नहीं मिलना, मूल्य और खरीद नीतियों में बिहार में अधिशेष अनाज उत्पादन पर ध्यान नहीं देने एवं तकनीकी प्रबन्ध कौशल विकास के उत्कृष्ट केन्द्रों के आभाव में काफी नुकसान हुआ है। परिणामस्वरूप, निवेश को आकर्षित करने में एवं दूसरे राज्यों से प्रतिस्पर्द्धा करने में बिहार सक्षम नहीं हो पा रहा है। इसलिए आवश्यक है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज देते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र की नीति के पैटर्न पर बिहार के लिए एक पॉलिसी पैकेज की घोषणा की जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त उत्तर बिहार को गैस पाइप लाइन से जोड़ने, टीडीएस/टीसीएस का विलम्ब से भुगतान पर लगने वाले दण्ड शुल्क के प्रावधान को व्यावहारिक बनाने, आयकर में सभी प्रकार की खरीद–बिक्री के प्रावधान में छूट की सीमा बढ़ाने, महिला वरीय नागरिकों के लिए 7 लाख एवं सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 10 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं वसुलने, राज्य में स्थापित होने वाले उद्योगों को कम से कम 5 साल का करावकाश की सुविधा प्रदान करने, नालन्दा जिले के आयुध कारखाना निर्माण की स्थापना के उपरान्त राज्य के अन्य भागों में भी ईकाइयॉ स्थापित करने, बिहार में आईआईएम की भी स्थापना, पटना एम्स में सुविधाओं का विस्तार करने, जिला स्तर पर एम्स जैसी छोटी इकाइयॉ स्थापित करने, स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने, राज्य में होटल इण्डस्ट्रीज को बढ़ावा देने, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष करावास की सुविधा आदि। **बजट में किसको क्या मिलेगा यह तो 1 फरवरी, 2025 को ही स्पष्ट होगा।**

बिहार बजट 2025–26 के लिए भी चैम्बर द्वारा उद्योग, आईटी एवं टैक्सेशन से संबंधित समर्पित ज्ञापन में मांग की गई है जिसमें उद्योग विभाग का बजट बढ़ाने, उद्यमों को भूमि का आबंटन, भूमि बैंकों की स्थापना, बिजली दर पड़ोसी राज्यों के समान करना, उद्योगों के लिए भूमि का अलग से वर्गीकरण और औद्योगिक भूमि की दर अलग निर्धारित हो, डोभी के अतिरिक्त गया और कैमूर के बीच दो अन्य औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हो।

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के 78वें स्थापना दिवस पर दिनांक 9 जनवरी, 2025 को पाटलीपुत्र औद्योगिक परिसर स्थित एक होटल में गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें मैं भी आमंत्रित था। इस सम्मेलन का उद्घाटन माननीय उप–मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने किया। माननीय उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने उत्पादों को विश्वस्तर का बनाने और उपभोक्ताओं को मानक अनुरूप उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए BIS प्रयासरत है। आमजनों को जागरूक करने के लिए मानकों के प्रचार–प्रसार में डिजिटल माध्यमों का उपयोग होना चाहिए।

गया में महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर परियोजना को गति प्रदान करने हेतु बिहार इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी गया लिमिटेड (BIMCGL) नामक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) का गठन किया गया है जो परियोजना के त्वरित निर्माण और समय सीमा में गति लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो परियोजना को शीध्र पूरा करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। **इस परियोजना से राज्य में युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर पैदा करने के साथ बिहार के संसाधनों और कौशल का प्रभावी उपयोग होगा। यह बिहार के लिए ऐतिहासिक अवसर है।**

बिहार राज्य गुड़ प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत राज्य में 37 गुड़ उत्पादक इकाईयॉ स्थापित होगी। बिहार में गुड़ प्रोत्साहन पॉलिसी के जरिये पहली बार गुड़ उत्पादन प्लांट लगाने हेतु राज्य सरकार ने नीति बनाई है। इसमें बहुत ही आकर्षक इंसेटिव और अनुदान देने का प्रावधान है। साथ ही आसान शर्त्तों पर ऋण दिलाये जाने की घोषणा की गयी है। यह गुड़ की युनिटें ऐसे स्थानों पर स्थापित होगी जिनके चलते चीनी मिलों के लिए गन्ने की आपूर्ति प्रभावित न हो।

सहकारिता विभाग की एजेंसी वेजफेड की ओर से 11 जनवरी, 2025 से टमाटर सॉस तथा कैचअप तैयार करने की प्रकिया शुरू कर दी गयी। प्रोसेसिंग किस्म के टमाटरों का प्रसंस्करण और मूल्यवर्द्धन शुरू कर दिया गया। पहली खेप में 140 टन टमाटर की प्रोसेसिंग वैशाली जिला के प्रोसेसिंग युनिट में की गयी। **इससे राज्य के सब्जी उत्पादक किसानों के लिए स्थायी बाजार उपलब्ध होगा और राज्य के किसान लाभान्वित होंगे।**

मित्रों, वाहन दुर्घटना में काफी वृद्धि हो गयी है। यातायात के नियमों का पालन नहीं करना इसका प्रमुख कारण है। अतः वाहन सही रफ्तार से चलाये। दूसरों की जान के साथ अपनी जान का भी ख्याल रखे। **जान है तो जहान है।**

सादर,

आपका

सुभाष पटवारी

बिहार इलेक्ट्रीक ट्रेडर्स एसोसियेशन द्वारा आयोजित 'ELECON' 2025 Electric Trade Expo का भ्रमण

बिहार इलेक्ट्रीक ट्रेडर्स एसोसियेशन (BETA) द्वारा आयोजित "ELECON" 2025 Electric Trade Expo में दिनांक 13 जनवरी, 2025 को चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री अजय गुप्ता को सम्मानित किया गया एवं उन्होंने EXPO का भ्रमण किया।

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठक

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठक प्राधिकार के सभा कक्ष में दिनांक 8 जनवरी, 2025 को आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता श्री कुन्दन कुमार, भा0प्र0से0, प्रबन्ध निदेशक, बियाडा ने की।

इस बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर, सम्मिलित हुए।

केन्द्रीय बजट के लिए बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भेजे कई सुझाव, केन्द्र से आयकर में छूट, जीएसटी के प्रावधानों में ढील देने की मांग

बीसीसीआई ने बिहार के लिए मांगा विशेष राज्य का दर्जा

केन्द्रीय बजट 2025-2026 के लिए राज्य के औद्योगिक और व्यापारिक संगठनों ने केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर राज्य के हित के लिए कई सुझाव दिए हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष सुभाष कुमार पटवारी ने पत्र में कहा है कि बिहार के विभाजन के बावजूद उपयुक्त मुआवजा नहीं मिला। बिहार में अधिशेष अनाज उत्पादन पर ध्यान नहीं देने एवं तकनीकी/ प्रबंधन कौशल विकास में उत्कृष्ट केन्द्रों के अभाव, राज्य को फ्रेट इक्वलाइजेशन और खनिज पर रॉयलटी और राज्य में बार-बार बाढ़ के कारण बिहार को काफी नुकसान हुआ है। इसके कारण बिहार निवेश को आकर्षित करने एवं दूसरे राज्यों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हो रहा है। इसलिए यह आवश्यक है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज देते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र की नीति के पैटर्न पर बिहार के लिए भी एक पॉलिसी पैकेज की घोषणा होनी चाहिए।

बीसीसीआई अध्यक्ष ने केन्द्रीय मंत्री से बजट में आयकर स्लैब को और तर्कसंगत बनाते हुए आयकर से छूट की सीमा को कम-से-कम 5 लाख करने, कर दर को 5 से 10 लाख तक 5 प्रतिशत, 10-15 लाख तक 10 प्रतिशत, 15-20 लाख तक 15 प्रतिशत, 20-30 लाख तक 20 प्रतिशत एवं 30 लाख से उपर की आय के लिए 25 प्रतिशत रखने का सुझाव दिया है। महिला वरीय नागरिकों के लिए 7 लाख एवं सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 10 लाख तक की आय पर किसी प्रकार का आयकर नहीं वसूलने की भी मांग की है। इसके अलावा 80 सी के तहत मिलने वाले छूट की वर्तमान सीमा डेढ़ लाख से बढ़ाकर 3 लाख करने का सुझाव दिया है।

पाँच साल के लिए मिले करावकाश : बीसीसीआई अध्यक्ष ने राज्य में लगने वाले उद्योगों को कम-से-कम 5 साल के लिए करावकाश की सुविधा प्रदान करने, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी दर को आकर्षक बनाने की सिफारिश की है। नालंदा के आयुध निर्माण इकाई की तर्ज पर राज्य के अन्य भागों में भी इकाइयाँ स्थापित करने की मांग की है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 23.1.2025)

उद्योगों हेतु 10,000 एकड़ भूमि का हो रहा अधिग्रहण

• चैम्बर ने की सस्ती बिजली, कम किराया की मांग, पेशा-कर हटाने का सुझाव • सम्राट बोले, बिहार की समृद्धि वाला बजट बनाने में जनता का चाहिए सहयोग

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ऐसा बजट बनाना चाहती है, जिससे बिहार का विकास भी तीव्र गति से हो और वंचित-उपेक्षित वर्ग को भी इसमें सहभागी बनाया जा सके। इसके लिए उन तक हर संभव सहायता पहुँचाने का लक्ष्य है। औद्योगिक विकास इसका महत्वपूर्ण आधार हो सकता है। इससे राज्य के विकास के साथ आम लोगों के लिए रोजी-रोजगार का अवसर भी सुलभ होगा। इस विचार के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिनांक 21.01.2025 को बताया कि उद्योगों की स्थापना के लिए लगभग 10000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। चौथा कृषि रोडमैप लागू है। जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। खेतों तक बिजली पहुँचाने के लिए कृषि फीडर लगाए जा रहे हैं।

सम्राट के पास वित्त व वाणिज्य-कर विभाग का भी दायित्व है। होटल मौर्या में बजट-पूर्व चर्चा में उन्होंने उद्योग, कृषि, शिक्षा, खेल, पर्यटन, आइटी, स्वास्थ्य, व्यापार और पूंजी जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ-साथ आम लोगों से भी सुझाव मांगा। कहा कि बिहार को समृद्ध बनाने की अपेक्षा वाला बजट बनाने में सबके सहयोग की आवश्यकता है। हम "सबका साथ-सबका विकास" की नीति में विश्वास करते हैं। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा, विज्ञान, प्रावैधिकी व तकनीकी शिक्षा मंत्री सुमित कुमार के साथ वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर

आदि बैठक में उपस्थित रहे। बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स के अध्यक्ष सुभाष पटवारी भी चर्चा में सहभागी बने।

चैम्बर की चाहत : उद्योगों के लिए भूमि बैंक बने। बड़ी परियोजनाओं के लिए भू-अधिग्रहण में उद्यमी व किसानों के बीच सरकार मात्र फेसिलिटेटर की भूमिका में रहे। डोभी के अतिरिक्त गया और कैमूर के बीच कम-से-कम दो अन्य औद्योगिक क्षेत्रों की आवश्यकता है। फायर आडिट पाँच वर्ष पर हो और पड़ोसी राज्यों की दर पर बिजली मिले। सब्सिडी दी जाए। भू-जल प्राधिकरण आवश्यक है। पटना के रास्ते गंगा नदी में कार्गो के आवागमन हेतु आवश्यक सुधार किया जाए। हैदराबाद की तर्ज पर पटना के आसपास आइटी पार्क बनाया जाए। गैर-आवासीय सपत्ति कर में वार्षिक वृद्धि 10 से 15 प्रतिशत तक ही उचित है। पेशा-कर या तो हटाया जाए या उसकी देनदारी संस्थान-प्रतिष्ठान की हो। जीएसटी क्षतिपूर्ति के दावे का तेजी से निपटारा हो। एक ही शहर के अंदर माल के परिगमन पर ई-वे बिल की बाध्यता समाप्त की जाए और ई-वे बिल की सीमा एक लाख से बढ़ाकर तीन लाख की जाए। **(साभार : दैनिक जागरण, 22.1.2025)**

भारतीय मानक ब्यूरो, पटना द्वारा "Quality Conclave with Industries holding BIS Licence of Bihar का आयोजन

भारतीय मानक ब्यूरो, पटना शाखा द्वारा 78वें स्थापना दिवस के अवसर पर दिनांक 09 जनवरी, 2025 को "Quality Conclave with Industries holding BIS Licence of Bihar" का आयोजन किया गया। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से इस Conclave में अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी सम्मिलित हुए।

कार्यक्रम का उद्घाटन श्री विजय कुमार सिन्हा, माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार एवं चैम्बर अधयक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी ने संयुक्त रूप से किया। श्री पटवारी को कार्यक्रम में सम्मानित किया गया तथा उन्होंने कार्यक्रम को सम्बोधित भी किया।

"दवा कारोबार को लेकर सरकार की ओर से समय-समय पर जो भी दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं, उसका हम दवा कारोबारी पूरी तत्परता के साथ पालन करते हैं। इतना ही नहीं, हम लोग अन्य दवा कारोबारियों को उसके प्रति जागरूक भी करते हैं।" **– प्रदीप चौरसिया**

(साभार : हिन्दुस्तान, 22.1.2025)

राज्य में जल्द आयेगी नयी औद्योगिक पॉलिसी

कंप्रेस्ड बायोगैस और फूड प्रोसेसिंग पर होगा फोकस

बिहार सरकार नये औद्योगिक परिदृश्य में भविष्य की जरूरतों के मद्देनजर नयी औद्योगिक पॉलिसी लाने जा रहा है। अगले 40-50 साल की जरूरतों के आधार पर विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण (फूड प्रोसेसिंग) नीति, फार्मास्युटिकल और बायोफ्यूल से संबंधित विशेष पॉलिसी लायी जायेगी। संबंधित नीतियाँ करीब-करीब तैयार की जा चुकी हैं। इन्हें जल्दी ही आगामी कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी के लिए लाया जायेगा। निवेश आकर्षित करने के लिहाज से फूड प्रोसेसिंग सेक्टर खास है। वहीं, कंप्रेस्ड बायोगैस को ग्लोबल परिदृश्य में निवेश का नया क्षेत्र बताया जा रहा है। इसके अलावा उद्योग विभाग बिहार में निवेश को आकर्षित करने के लिए नयी औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025 भी तैयार हो रही है। यह नीति बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2016 का स्थान लेगी। इस नीति का कार्यकाल 31 मार्च, 2025 को खत्म होने जा रहा है। दरअसल, नये साल 2025 में बिहार में बदलते औद्योगिक-आर्थिक परिदृश्य के मद्देनजर प्रोत्साहन नीति के समकक्ष कुछ और पॉलिसी लायी जा रही है। इनमें कुछ ऐसी भी पॉलिसी हैं, जिनकी मांग हाल में बिहार में आयोजित की गयी ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट (बिहार बिजनेस कनेक्ट) के दौरान शीर्ष उद्योगपतियों ने सीइओ राउंड टेबल मीटिंग में की थी।

"उद्योग विभाग अपनी भविष्य की जरूरतों और मांग के अनुसार प्रोत्साहन पॉलिसी बनाने जा रहा है। इसमें बायोफ्यूल फार्मास्युटिकल खाद्य प्रसंस्करण की नीतियाँ हैं। इस दिशा में काम शुरू हो चुका है। नयी पॉलिसी में निवेश के नये ट्रेड को भी समाहित किया जायेगा। ताकि आने वाले समय में विभिन्न क्षेत्रों के निवेशक बिहार में आ सकें।" **– नीतीश मिश्र,** उद्योग मंत्री, बिहार

(साभार : प्रभात खबर, 1.1.2025)

एसएसी की बैठक में बिजली दर और कम करने की उठी मांग

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस बार बिजली दर में वृद्धि का प्रस्ताव नहीं दिए जाने का स्वागत किया है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग में हुई राज्य सलाहकार समिति (SAC) की बैठक की अध्यक्षता विनियामक आयोग के अध्यक्ष आमिर सुबहानी ने की। बैठक में आयोग के दोनों सदस्य अरुण कुमार सिन्हा और परशुराम सिंह यादव के

अलावा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक महेन्द्र कुमार, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉ. निलेश रामचन्द्र देवरे, कंपनी के निदेशक, मुख्य अभियंता भी मौजूद रहे। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सुभाष पटवारी भी बैठक में मौजूद रहे।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सुभाष पटवारी ने स्टील उद्योग में बिजली दर बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध किया एवं वापस लेने की मांग की। **(साभार : हिन्दुस्तान, 16.1.2025)**

चैम्बर द्वारा महात्मा गाँधी जी की 77वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 30 जनवरी 2025 को सदस्यों द्वारा महात्मा गाँधी जी की 77वीं पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज का दिन हमें उनके आदर्शों एवं सिद्धांतों को याद करने का अवसर प्रदान करता है जिन्होंने हमारे राष्ट्र को स्वतंत्रता की और ले जाने में अहम् भूमिका निभाई थी। हमें भी गाँधी जी के जीवन और उनके सिद्धांतों से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतरने का प्रयास करना चाहिए।

इस अवसर पर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, पूर्व अध्यक्ष श्री. पी. के. अग्रवाल, पूर्व उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, श्री अजय गुप्ता, श्री ए. एम. अंसारी एवं अन्य सदस्य उपस्थित थे।

भारतीय रिजर्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के विरुद्ध शिकायतों का निवारण

रिजर्व बैंक-एकीकृत ओम्बड्समैन योजना (आरबी-आईओएस)

- रिजर्व बैंक ने अपनी सभी विनियमित संस्थाओं को उनके ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों का समाधान करने हेतु अपने स्तर पर एक व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दिया है, जिसे विनियमित संस्थाओं का आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र माना जाता है।
- रिजर्व बैंक ने रिजर्व बैंक-एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 (आरबी-आईओएस) के माध्यम से अपनी विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं में कमियों से संबंधित ग्राहक शिकायतों के समाधान के लिए एक त्वरित और नि:शुल्क वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र भी स्थापित किया है।
- बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों (पीएसपी) और साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को शिकायत निवारण तंत्र के तहत विनियमित संस्थाओं के रूप में माना जाता है।
- किसी भी विनियमित संस्था के विरुद्ध सभी शिकायतों के लिए आरबी-आईओएस "एक राष्ट्र एक ओम्बड्समैन" दृष्टिकोण अपनाता है। अत: शिकायतकर्ता के लिए अब यह जानना आवश्यक नहीं है कि उसे किस ओम्बड्समैन योजना/कार्यालय के तहत ओम्बड्समैन के पास शिकायत दर्ज करानी चाहिए।
- आरबी-आईओएस के अंतर्गत नहीं आने वाली विनियमित संस्थाओं के विरुद्ध शिकायतों का समाधान भारतीय रिजर्व बैंक के उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण कक्षों (सीईपीसी) द्वारा किया जाता है।
- आरबी-आईओएस और सीईपीसी के दायरे में आने वाली संस्थाओं की सूची https://cms.rbi.org.in पर देखी जा सकती है।

अगर आपको शिकायत हो तो क्या करे?

आप विनियमित संस्थाओं के विरूद्ध उसकी शाखा में या शिकायत निवारण पोर्टल पर ऑनलाइन या उसकी वेबसाइट पर बताए गए किसी अन्य तरीके से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत की पावती प्राप्त करें या संदर्भ संख्या सुरक्षित रखें।

आरबीआई ओम्बड्समैन से सपर्क कब करें?

आप निम्नलिखित मामलों में आरबीआई ओम्बड्समैन से संपर्क कर सकते हैं:

- **विनियमित संस्थाओं से 30 दिन के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने पर**- विनियमित संस्थाओं को की गई आपकी शिंकायत की तारीख से एक वर्ष और 30 दिन के भीतर कभी भी।
- **विनियमित संस्थाओं से प्राप्त उत्तर असंतोषजनक है**- संबंधित विनियमित संस्थाओं से उत्तर प्राप्त होने के एक वर्ष के भीतर कभी भी।

ध्यान दें:

- आरबी-आईओएस में निर्दिष्ट शिकायत फार्म के अनुसार सभी अपेक्षित विवरण/जानकारी शिकायत में शामिल होनी चाहिए।
- शिकायत किसी अन्य मंच (जैसे न्यायालय) में निपटाई गई/लंबित नहीं होनी चाहिए या आरबीआई ओम्बड्समैन द्वारा पहले निपटाई नहीं गई हो।
- **विनियमित संस्थाओं से संपर्क किए बिना आरबीआई ओम्बड्समैन के पास सीधे शिकायत दर्ज कराने पर उसे अस्वीकार किया जा सकता है।**

आरबीआई के पास शिकायत कैसे दर्ज करे?

विनियमित संस्थाओं के विरुद्ध कोई भी शिकायत निम्न किसी भी माध्यम द्वारा दर्ज की जा सकती :

- आरबीआई के शिकायत प्रबंध प्रणाली (सीएमएस) पोर्टल https://cms.rbi.org.in के माध्यम से ऑनलाइन।
- आरबी-आईओएस के अनुबंध में निर्दिष्ट फॉर्म में भौतिक शिकायत (पत्र/डाक) "केन्द्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केन्द्र, चौथी मंजिल, भारतीय रिजर्व बैंक, सेक्टर -17, सेंट्रल विस्टा, चंडीगढ़-160017" को प्रेषित की जा सकती है।

आरबीआई के पास शिकायत दर्ज करने के बारे में अधिक जानकारी कैसे प्राप्त करें?

अधिक जानकारी के लिए आप आरबीआई संपर्क केन्द्र के टोल-फ्री नंबर 14448 पर संपर्क कर सकते हैं। इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पास सिस्टम (आईवीआरएस) युक्त संपर्क केन्द्र 24 x 7 उपलब्ध है, जबकि संपर्क केन्द्र कर्मियों से अँग्रेजी, हिन्दी और दस क्षेत्रीय भाषाओं (असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तेलुगु और तमिल) में बात करने की सुविधा राष्ट्रीय अवकाशों को छोड़कर सोमवार से शनिवार सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे के बीच उपलब्ध है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें :

भारतीय रिजर्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - https://www.rbi.org.in/hindi/Scripts/Faqs.aspx?did=56 या सीएमएस पोर्टल- https://cms.rbi.org.in

(डीआईसीजीसी के विरुद्ध शिकायतों के लिए कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित पते/ईमेल आईडी पर शिकयत दर्ज कर सकता है)

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)
महाप्रबंधक
डीआईसीजीसी, शिकायत निवारण कक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक भवन, दूसरी मंजिल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, मुम्बई-400 008
ई-मेल : dicgc.complaints@rbi,org.in
टेलीफोन नं : 022-2301 9645

(साभार : हिन्दुस्तान, 12.1.2025)

चैम्बर ने भूतपूर्व अध्यक्ष स्व0 खेमचन्द चौधरी की 50वीं पुण्य तिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित किया

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 14 जनवरी 2025 को चैम्बर के भूतपूर्व अध्यक्ष स्व. खेमचन्द चौधरी की 50वीं पुण्य तिथि के अवसर पर सदस्यों एवं उनके परिजनों ने अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनके व्यक्तित्व एवं कीर्तित्व को याद किया।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सभाष कुमार पटवारी ने अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए बताया कि स्व. चौधरी 14 जनवरी 1975 को चैम्बर की ओर से जरूरतमंदों के बीच कम्बलों का वितरण करने कार से दरभंगा जा रहे थे, उसी क्रम में रास्ते में कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गयी थी। उस समय से लगातार 14 जनवरी को उनकी पुण्यतिथि मनाकर उन्हें याद किया जाता है।

श्री पटवारी ने कहा कि स्व. चौधरी चैम्बर के काफी सक्रिय एवं समर्पित सदस्यों में एक थे। स्व. चौधरी चैम्बर के महामंत्री, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया था।

स्व. चौधरी के पौत्र श्री अमर चौधरी ने कहा कि चैम्बर 50 सालों से मेरे दादाजी की पुण्यतिथि मनाते आ रहा है इसके लिए हम चैम्बर के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि चैम्बर के प्रयास से मेरे दादा जी के नाम से चैम्बर के आगे की सड़क का नाम खेमचन्द चौधरी मार्ग रखा गया है, यह गौरव की बात है लेकिन इस मार्ग का नेमप्लेट लग जाता तो लोगों को पता चलता। इस कार्य मे जो खर्च आयेगा उसे मैं वहन करूंगा।

श्रद्धांजलि सभा में चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, श्री एन. के. ठाकुर, श्री ए. के. पी. सिन्हा, श्री मुकेश कुमार जैन, श्री आशीष प्रसाद, श्री विनोद कुमार, श्री अजय गुप्ता, श्री सत्यप्रकाश, डॉ. रमेश गाँधी, श्री सांवल राम ड्रोलिया, श्री ए. एम. अंसारी, डॉ. सी. के. खण्डेलवाल एवं अन्य सदस्य उपस्थित थे।

साइबर ठगी से नहीं जुडे होने पर भी होल्ड हो रहे बैंक खाते

गलती एक व्यक्ति की, लेकिन भुगत रहे हैं सैकड़ों लोग, साइबर ठगी के मामलों में अब ऐसा ही हो रहा है। साइबर ठग पुलिस को चकमा देने के लिए ऑनलाइन ठगी का पैसा सैकड़ों बैंक खातों में ट्रांसफर करते हैं। इस दौरान अनजान लोगों के बैंक खातों में भी पैसा डाल दे रहे हैं और ऑनलाइन खरीदारी करके भुगतान कर रहे हैं। बैंक अधिकारियों ने बताया कि जाँच के दौरान नेशनल पोर्टल के जरिये पुलिस इन बैंक खातों को भी होल्ड कर देती है। इनमें वे बैंक खाते भी होते हैं, जिनका साइबर ठगों से कोई कनेक्शन नहीं होता है। इससे इन बैंक खातों से किसी भी प्रकार का लेन-देन नहीं हो पाता है। खाताधारक इन बैंक खातों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। उन बैंक खातों से जुड़े फोनपे, पेटीएम जैसी सेवाओं का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के वरीय उपाध्यक्ष डॉ कुमार अरविन्द ने बताया कि मजबूरन लोग दूसरे खाते खुलवा रहे हैं। कई मामलों में तो उनके खाते में लाखों रुपये तक है। लेकिन, होल्ड के कारण वे अपनी ही पैसों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इनमें सबसे अधिक वे लोग परेशान होते हैं, जिनमें साइबर जालसाज ऑनलाइन सर्विस या खरीद-बिक्री किये रहते हैं।

(साभार : प्रभात खबर, 20.1.2025)

रहें सावधान : साइबर फ्रॉड का नया तरीका 'जंप डिपोजिट स्कैम'

पैसा क्रेडिट का मैसेज आते ही हो जाएँ सतर्क

प्रदेश में साइबर अपराधियों ने लोगों से पैसे ठगने के लिए एक नया तरीका खोज निकाला है। इसे 'जंप डिपोजिट स्कैम' का नाम दिया गया है। इस तरीके से साइबर स्कैमर अपने टारगेट व्यक्ति को उसके अकाउंट में पैसे क्रेडिट (जमा) होने का नोटिफिकेशन भेजते हैं। व्यक्ति जैसे ही बैलेंस चेक करने के लिए पासवर्ड डाल कर यूपीआइ अकाउंट को खोलता है, वैसे ही उसका अकाउंट खाली हो जाता है। इसमें पिन, लिंक आदि जानकारी भी साझा नहीं करनी पड़ती है। इसे अंजाम देने के लिए साइबर ठग पहले टारगेट व्यक्ति के अकाउंट में 500 से 2000 रुपये भेजकर व्यक्ति को प्रलोभन देते हैं।

20-25 वर्ष के युवा जंप डिपोजिट स्कैम के शिकार : पटना साइबर थाने के एसडीपीओ राघवेन्द्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि जंप डिपोजिट स्कैम का तरीका बिल्कुल नया है, क्योंकि पुराने तरीके को पुलिस ने डिकोड कर लिया है। उन्होंने बताया कि साइबर ठग जंप डिपोजिट स्कैम तरीके को 20-25 वर्ष के युवाओं को टारगेट बनाते हैं, जो यूपीआइ पिन डालने में कम सावधानी बरतते हैं। फिलहाल 5 से 8 मामलों में इस तरह के स्कैम की संभावना दिख रही है।

इससे बचने का तरीका : 1. अकाउंट में बिना जानकारी के पैसे क्रेडिट होते ही इससे तुरंत चेक न करें, 15-20 मिनट के बाद ही अकाउंट को चेक करें 2. पहली बार गलत पिन डालें 3. इस तरह की ठगी का शिकार होते ही 1930 नंबर पर कॉल करें।

(साभार : प्रभात खबर, 1.1.2025)

EXCLUSIVE BOOK LAUNCH "LEADING FROM THE BACK" – BY MR. RAVI KANT

Exclusive Book Launch "Leading from the Back – by Mr. Ravi Kant का कार्यक्रम दिनांक 17 जनवरी, 2025 को पटना के होटल ताज सिटी सेन्टर में हुआ। इस कार्यक्रम में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, पूर्व उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, GST Sub-Committee के चेयरमैन श्री सुनील सराफ, कार्यकारिणी सदस्य श्री अमर कुमार अग्रवाल, श्री पवन भगत सहित अन्य सम्मानित सदस्य सम्मिलित हुए। चैम्बर अध्यक्ष ने कार्यक्रम को सम्बोधित भी किया।

कहीं आपके 500 के नोट पर भी तो नहीं लिखा है Resarve Bank of India, हो जाएँ सचेत

500 रुपये के नकली नोट के प्रचलन को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को सचेत किया है। मुख्यालय के आइजी (विशेष शाखा) ने सभी डीएम, एसपी को पत्र लिख कर कहा कि तस्करों ने 500 रुपये के नोट में Reserve Bank of India की जगह Resarve Bank of India अंकित जाली नोट को बाजार में सर्कुलेट कराया है। इसको देखते हुए जाली नोट पहचान को विशेष अभियान चलाये जाने तथा विशेष प्रशासनिक सतर्कता बनाये रखने की आवश्यकता है। पत्र के साथ नकली नोट की तस्वीर भी संलग्न की गयी है।

(साभार : प्रभात खबर, 1.1.2025)

एक से अधिक लोन लेने वालों पर सख्ती बढ़ेगी

अब हर 15 दिन में क्रेडिट रिकॉर्ड अपडेट होगा

बार-बार एक से अधिक पर्सनल लोन लेने वाले ग्राहकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आरबीआई ने इनके नियमों में बदलाव किया है। इसके मुताबिक कर्ज देने वाले बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को ऐसे ग्राहकों को क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड अब 15 दिन के अंदर अपडेट करना होगा। पहले यह एक महीने में किया जाता था। रिजर्व बैंक का कहना है कि इससे कर्ज लेने वालों के जोखिम का बेहतर आकलन करने में मदद मिलेगी।

यह होगा असर : विशेषज्ञों का कहना है कि लोन की किस्त (ईएमआई) महीने में अलग-अलग तारीखों को चुकाई जाती हैं। महीने में एक बार क्रेडिट रिकॉर्ड अपडेट करने से किस्त चूकने या भुगतान की जानकारी दिखने में 40 दिन तक की देरी हो सकती है। इससे क्रेडिट मूल्यांकन में विलंब हो जाता है, जिसका असर वित्तीय संस्थाओं पर पड़ता है। अब समय 15 दिन करने से यह देरी काफी कम हो जाएगी। ज्यादा बार अपडेट होने से कर्ज देने वाली संस्थाओं को डिफॉल्ट की सही जानकारी समय में मिल पाएगी।

कर्ज के लिए कर्ज पर लगेगी लगाम : वित्तीय कंपनियों का कहना है कि इस बदलाव से 'एवरग्रीनिंग' के मामले भी रुकेंगे। इसमें कर्ज लेने वाले पुराने कर्ज नहीं चुका पाने पर नया कर्ज ले लेते हैं। इससे उनकी कुल कर्ज की राशि और अधिक हो जाती है। यह कदम उधारकर्ताओं को तत्काल राहत देता है।

आरबीआई ने अगस्त में जारी किया था निर्देश : आरबीआई ने यह निर्देश अगस्त में जारी किया था और लोन देने वालों तथा क्रेडिट ब्यूरो को एक जनवरी तक अपने सिस्टम को अपडेट करने का समय दिया था। विशेषज्ञों का कहना है कि जब नए उधारकर्ता लोन लेते हैं तो वे कभी-कभी एक साथ कई लोन ले लेते हैं, जिससे उन्हें चुकाने में कठिनाई होती है। अब बार-बार डेटा अपडेट करने से यह स्थिति कम होगी और उधारकर्ताओं का व्यवहार बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 6.1.2025)

अब कंप्यूटराइज्ड रेंडमाइजेशन से नहीं होगा लाभार्थियों का चयन

सीएम उद्यमी योजना चयन की नयी प्रक्रिया तय करने को बन रही समिति

स्वरोजगार के लिहाज से बिहार की सबसे महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में लाभुकों के चयन की वर्तमान प्रक्रिया कंप्यूटराइज्ड रेंडमाइजेशन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय आगामी वित्तीय वर्ष 2025-2026 से प्रभावी होगा। जिला स्तर पर योग्य उम्मीदवारों के प्राथमिक तौर पर चयन की प्रक्रिया तय करने के लिए विभाग के तकनीकी विकास निदेशक की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय चयन समिति गठित की जा रही है। इस समिति को अपनी रिपोर्ट 15 दिन के अंदर देनी है।

उद्योग विभाग ने यह अहम कदम मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से संबंधित प्रशिक्षण संस्थाओं की तरफ से दिये गये फीड बैक के आधार पर उठाया है। संस्थाओं ने फीड बैक दिया है कि कंप्यूटराइज्ड रेंडमाइजेशन की जरिये चयनित अभ्यर्थियों में से केवल 20-40 प्रतिशत अम्यर्थी की संभाव्यता होती है। तकनीकी विकास निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति को नयी प्रक्रिया के बारे में रिपोर्ट पन्द्रह दिन के अंदर देनी है।

• सीएम उद्यमी योजना के लाभुकों को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध करायी जायेगी • प्रशिक्षण संस्थाओं ने फीड बैक दिया कि रेंडमाइजेशन से चुने 20 से 40 प्रतिशत आवेदक ही संभावनाशील

क्या है कंप्यूटराइजड रेंडमाइजेशन प्रक्रिया : इस प्रकिया में ऑनलाइन आये आवेदनों की जानकारी की एक विशेष सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाता है। चयन करने के लिए एक क्लिक पर अपेक्षित

बिहार विद्युत विनियामक आयोग की स्टेट एडवाइजरी कमिटी की बैठक

बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BERC) की स्टेट एडवाइजरी कमिटी (SAC) की बैठक दिनांक 15 जनवरी, 2025 को विद्युत भवन, पटना में हुई। इस बैठक में चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं उर्जा उप समिति के चेयरमैन श्री ए. के. पी. सिन्हा उपस्थित हुए।

संख्या में अभ्यर्थियों का चयन स्वचालित ढंग से हो जाता है: इसमें मैन्युअल चयन नहीं होता है। इसमें लाखों आवेदनों में कुछ हजार या सौ का चयन चंद मिनट में हो जाता है।

बीआइसीआइसीओ के माध्यम से शॉर्ट टर्म लोन मिलेगा : इघर निर्णय लिया गया है कि सीएम उद्यमी योजना के तहत स्थापित इकाइयों के विस्तार के लिए अतिरिक्त कार्यशील पूंजी के लिए पोर्टल के माध्यम से आवेदन मांगे जायेंगे। यह प्रक्रिया पहली बार शुरू होने वाली है। आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड (बीआइसीआइसीओ) के माध्यम से शॉर्ट टर्म लोन उपलब्ध कराये जायेंगे। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस वर्ष 20 प्रतिशत चयनित आवेदको की प्रतीक्षा सूची को सिर्फ वित्तीय वर्ष 2024-2025 तक ही वैध माना जायेगा। यह सभी निर्णय उद्योग विभाग की सचिव बंदना प्रेयसी की अध्यक्षता में गठित मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से जुड़ी चयन समिति ने लिये हैं।

(साभार : प्रभात खबर, 20.1.2025)

भागलपुर में खुला राज्य का पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट संस्थान

केन्द्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री जे. पी. नड्डा ने अहमदाबाद से किया उद्घाटन, सिपेट विद्यार्थियों को मिलेगा रोजगार

भागलपुर के अलीगंज में राज्य का पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट संस्थान दिनांक 19.01.2025 को खुल गया। केंद्रीय रसायन व उर्वरक एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जे. पी. नड्डा ने अहमदाबाद सिपेट से इसका उद्घाटन किया। इंस्टीच्यूट आफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी (सिपेट) व प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के खुलने से विद्यार्थियों को रोजगार मिलेगा। यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को डिग्री भी दी जाएगी। जिसकी मान्यता पूरे देश में होगी। इसके साथ ही नगर निकायों के प्लास्टिक कचरे के निस्तारण को प्लांट भी मिल गया। यहाँ कई तरह के उत्पाद भी बनाए जाएँगे। सिपेट भागलपुर देश का 49वां संस्थान होगा। जे. पी. नड्डा ने कहा कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। इसमें भागलपुर का योगदान सराहनीय रहेगा। सिपेट स्पीड, स्किल व स्केल से देश के छात्रों को ऊर्जावान बना रहा है। भागलपुर सहित देश के सभी सिपेट संस्थानों के लिए बजट तय किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा ने बताया कि सिपेट उन प्रमुख संस्थानों में है जिसका प्लेसमेंट 90 प्रतिशत है। प्लास्टिक के क्षेत्र में इसका अहम योगदान है। सिपेट महानिदेशक प्रो. शिशिर सिन्हा ने बनाया कि अहमदाबाद के सिपेट की स्थापना 1968 में हुई थी। तब से अब तक देश के विभिन्न सिपेट में छात्र-छात्राओं को स्किल डेवलपमेंट व अन्य चीजों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। **(साभार : दैनिक जागरण, 20.1.2025)**

स्मार्ट मीटर के नये कनेक्शन पर नहीं लगेगा 18 फीसदी जीएसटी

घरेलू उपभोक्ताओं को नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए अब अधिक खर्च नहीं करना पड़ेगा। अब घरेलू उपभोक्ताओं को नये बिजली कनेक्शन पर जीएसटी नहीं लगेगा। राजधानी में बिजली सप्लाइ करने वाली संस्थान पेसू के जीएम रेवन्यू अरविन्द कुमार ने बताया कि राजधानी में नये घरेलू बिजली कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को पुराने स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं की तरफ अब 18 प्रतिशत जीएसटी नहीं देना होगा। बिजली कंपनियों की नयी गाइडलाइन के तहत एलटी सिंगल फेज, एलटी थ्री फेज मीटर के लिए लगने वाले 400 रुपये से 1000 रुपये जीएसटी को माफ करने का निर्णय लिया गया है। इससे अब नये कनेक्शन लेने वाले बिजली उपभोक्ताओं को सिर्फ स्मार्ट मीटर की राशि का ही भुगतान करना होगा। वहीं, मालूम हो कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट बिजली दर भी घटा दी गयी है।

घरेलू कनेक्शन के लिए पीएमसी म्यूटेशन लगाना अनिवार्य : पेसू के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार नये बिजली कनेक्शन के लिए बिजली उपभोक्ताओं को अब अपने घर का पीएमसी म्यूटेशन देना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए बिजली उपभोक्ताओं को कोर्ट के हलफना में के साथ अपने मकान का नगर निगम का म्यूटेशन भी लगाना जरूरी कर दिया है। मालूम हो कि हाल ही में शहर भर में नये स्मार्ट मीटर यूनिट की कमी के कारण नया कनेक्शन लगवाने के लिए एक महीने का इंतजार करना पड़ रहा है। **(साभार : प्रभात खबर, 21.1.25)**

माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री की अध्यक्षता एवं माननीय उद्योग मंत्री की उपस्थिति में बजट पूर्व बैठक 2025-2026 आयोजित

माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री, बिहार श्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता एवं माननीय उद्योग मंत्री, बिहार श्री नीतीश मिश्रा की उपस्थिति में दिनांक 21 जनवरी, 2025 को होटल मौर्या, पटना में उद्योग एवं आई टी प्रक्षेत्र से संबंधित बजट पूर्व बैठक आयोजित हुई।

इस बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, उपाध्यक्ष श्री प्रदीप चौरसिया एवं महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय शामिल हुए।

जंक्शन पर 24 घंटे पार्सल भेजने की सुविधा शुरू

• चिट्ठी भी मेज सकेंगे, बिहार सर्किल शुरू कर रही सेवा • पटना जंक्शन आरएमएस परिसर में काउंटर खुलेगा

चिट्ठी पत्री के साथ पार्सल भेजने के लिए अब 24 घंटे की सेवा मिलेगी। डाक विभाग, बिहार सर्किल ने निर्णय लिया है। अब 24 घंटे की डाक सेवा दी जाएगी। डाक विभाग द्वारा पटना जंक्शन स्थित आरएमएस परिसर में एक कांउटर खोला जाएगा। यह काउंटर 24 घंटे चलेगा। इसका उद्घाटन 17 जनवरी को होगा। इसके उद्घाटन के साथ ही डाक भेजने का 24 घंटे की सेवा शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि अभी तक जीपीओ समेत राज्य भर के डाकघर शाम में छह से आठ बजे रात तक बंद हो जाते थे। इससे इमरजेंसी के समय चिट्ठी-पत्री आदि भेजने में काफी दिक्कतें हो रही थी। ऐसे में 24 घंटे के डाक सेवा मिलने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। खासकर इमरजेंसी में डाक संबंधित चीजें भेजने में सुविधा मिलेगी। डाक विभाग बिहार सर्किल के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने बताया कि बिहार का पहला 24 घंटे की डाक सेवा शुरू किया गया है। इससे अब लोग जब चाहे अपना डाक कहीं पर भी भेज सकते हैं। लोगों को सुविधा हो इसके लिए यह आरएमएस परिसर में इसे खोला जा रहा है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 17.1.2025)

भंडारण क्षेत्र में बिहार की स्थिति और भी बेहतर हुई

नाहर समूह बिहार में एक मिलियन वर्ग फुट लॉजिस्टिक्स पार्क बनाएगा • चार हजार युवाओं को इससे रोजगार मिलेगा

केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स सुगमता 2024 रिपोर्ट में बिहार ने अपनी स्थिति सुधारने में सफलता पायी है। बिहार अत्यधिक प्रतिस्पर्धी भू-आबद्ध राज्य खंड में आकांक्षी श्रेणी से तेजी से आगे बढ़ने वाले श्रेणी में आ गया है। नई दिल्ली में केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की ओर से जारी की गई इस रिपोर्ट में राज्यों के लॉजिस्टिक्स (भंडारण) प्रदर्शन का मूल्यांकन चार महत्वपूर्ण स्तंभों के आधार पर किया जाता है। इसमें लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स सेवाएँ, संचालन और नियामक वातावरण और नव-परिचित स्थायी लॉजिस्टिक्स। बिहार का प्रदर्शन उसकी रणनीतिक पहल और मजबूत नीतियों को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य इसे लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग हब के रूप में स्थापित करना है।

बिहार लॉजिस्टिक्स नीति 2024 गेम चेंजर : बिहार लॉजिस्टिक्स नीति 2024 इस परिवर्तन का उत्प्रेरक रही है। पूंजी सब्सिडी सहित आकर्षक प्रोत्साहन की इस नीति ने लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग में निवेशकों को आकर्षित किया है। इस व्यवसाय को कुशलतापूर्वक विस्तार करने में सक्षम बनाया है, जबकि क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है। पिछली 2022-23 की रिपोर्ट में डीपीआईआईटी के मूल्यांकन के अनुसार, बिहार समग्र लॉजिस्टिक्स सेवाओं की गुणवत्ता के लिए तेजी से आगे बढ़ने वाले श्रेणी में एकमात्र राज्य है। बिहार के पहले ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो का 21 अक्टूबर 2024 को उद्घाटन उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा द्वारा बिहटा में किया गया था। इससे वेयरहाउसिंग, कस्टम बॉन्डेड सुविधाएँ, कंप्यूटरीकृत कार्गो ट्रैकिंग और मल्टी-मॉडल परिवहन जैसी एकीकृत सेवाएँ मिल रही है।

बिहार खुद को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के रूप में स्थापित कर रहा : लॉजिस्टिक्स नीति और मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों के विकास के साथ, बिहार खुद को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय व्यापार दोनों के लिए एक केन्द्र के रूप में स्थापित कर रहा है। बेहतर सड़क और रेल कनेक्टिविटी सहित राज्य के लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार से व्यापार करने में और आसानी हुई है।

नाहर समूह बनाएगा लॉजिस्टिक्स पार्क : नाहर समूह ने बिहार में एक मिलियन वर्ग फुट के लॉजिस्टिक्स पार्क की घोषणा की है। इसमें 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश होगा, जिससे 4,000 नौकरियाँ सृजित होंगी। नाहर समूह के प्रबंध निदेशक कमल ओसवाल ने कहा है कि बिहार में हमारा अनुभव असाधारण रहा है, सभी स्वीकृतियाँ अन्य राज्य की तुलना में तेजी और कुशलता की जाती हैं, जिसमें हमने निवेश किया है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 5.1.2025)**

माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री की अध्यक्षता एवं माननीय उद्योग मंत्री की उपस्थिति में टैक्सेशन संबंधित बजट पूर्व बैठक 2025-26

माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री, बिहार श्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता एवं माननीय उद्योग मंत्री, बिहार श्री नीतीश मिश्रा की उपस्थिति में दिनांक 21 जनवरी, 2025 को सचिवालय के सभागार में टैक्सेशन से संबंधित बजट पूर्व बैठक आयोजित हुई।

इस बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से GST Sub-Committee के को-चेयरमैन श्री अभिजीत बैद, कार्यकारिणी सदस्य CA अरूण कुमार एवं श्री आशीष प्रसाद सम्मिलित हुए।

रेरा बिहार
RERA BIHAR
भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकारण (रेरा), बिहार

बिल्डर्स के लिए आवश्यक सूचना

बिक्री हेतु किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट चाहे वो आवासीय हो या दुकान अथवा ऑफिस के लिए बनायी जा रही हो और जिसमे ईकाई (यूनिट) की संख्या 8 से अधिक है या जमीन का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर से अधिक है उसका निबंधन रेरा बिहार में अनिवार्य है।

निबंधन कराये बिना बिल्डर ऐसे प्रोजेक्ट का ना तो प्रचार कर सकते है और ना ही कोई बुकिंग कर सकते हैं।

निबंधन नहीं कराने वाले बिल्डर्स के विरुद्ध रेरा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कारवाई की जा सकती है तथा बिल्डर को दण्डित किया जा सकता है।

प्राधिकरण के आदेश का पालन नहीं करने पर बिल्डर्स को कारावास की सजा भी हो सकती है।

(साभार : दैनिक जागरण, 20.1.2025)

आया 'संचार साथी' एप : धोखाधड़ी वाले कॉल पर लगेगी लगाम

भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने 'संचार साथी' मोबाइल एप लॉन्च किया। इस एप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे लोगों को अपने मोबाइल फोन 'कॉल लॉग' से धोखाधड़ी की किसी भी संदिग्ध सूचना की सीधे रिपोर्ट करना आसान हो जायेगा। साथ ही एप से चोरी हुए मोबाइल सेट की फौरन ब्लॉक करने में भी मदद मिलेगी।

धोखाधड़ी रोकने के लिए बैंक 1600 नंबर से ही कॉल करें : आरबीआई ने वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के मकसद से बैंकों से कहा कि लेनदेन संबंधी उद्देश्य के लिए ग्राहकों को कॉल करने के लिए केवल "1600xx" नंबर शृंखला वाले फोन का ही उपयोग किया जाये। बैंकों व अन्य विनियमित संस्थाओं (आरई) को सिर्फ "140xx" नंबर शृंखला वाले फोन का ही उपयोग प्रचारात्मक उद्देश्यों के लिए करना चाहिए।

'संचार साथी' एप को ऐसे कर सकते हैं डाउनलोड : संचार साथी एप को संचार साथी वेबसाइट पर मोजूद क्यूआर कोड को स्कैन कर स्मार्टफोन में डाउलोड किया जा सकता है। गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल एप स्टोर से इस एपको सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एप डाउनलोड करने के बाद आप अपने मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके इसमें लॉग-इन करें और इसकी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं।

(साभार : प्रभात खबर, 18.1.2025)

बिना निबंधन 15 साल पुराने वाहन जब्त होंगे

• निबंधन का नवीनीकरण अनिवार्य, बिना निबंधन 15 साल पुरानी गाड़ी चलाना अवैध • परिवहन सचिव ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को दिया कार्रवाई का निर्देश

राज्य की सड़कों पर निबंधन का नवीनीकरण कराए बिना दौड़ रहे 15 साल से अधिक पुराने वाहन जब्त होंगे। साथ ही वाहन मालिकों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। राज्य सरकार ने ऐसे वाहनों के परिचालन को अवैध घोषित किया है।

यदि 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के निबंधन का नवीनीकरण नहीं हुआ है तो उन्हें ऐसी कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी गयी है। इस संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है।

पुराने सरकारी वाहन का नवीनीकरण नहीं : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशानुसार 15 वर्ष पुराने सभी सरकारी वाहनों का निबंधन अमान्य हो जाएगा। उनका पुनर्निबंधन नहीं किया जा सकेगा। सभी बोर्ड, निगम और राजकीय लोक उपक्रमों के वाहन भी इसकी परिधि में आएँगे। 15 साल से अधिक पुराने सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग होगी। सभी सरकारी विभागों द्वारा फिलहाल 2017 वाहनों को स्क्रैपिंग के लिए चिह्नित किया गया है।

पुरानी गाड़ियों को स्क्रेप के लिए बनी है नीति : राज्य में 15 साल पुरानी गड़ियों को स्क्रैप कराने के लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू की गई है। इसके तहत पुराने वाहनों को नियमानुसार स्क्रैप कराने के बाद नए निजी वाहनों की खरीद पर वाहन के निबंधन के समय 25 प्रतिशत

और व्यावसायिक वाहनों की खरीद पर 15 प्रतिशत टैक्स में छूट दी जाएगी।

अभियान चलाकर की जाएगी कार्रवाई : ऐसे वाहन जो निर्धारित समय सीमा के बाद भी बिना रजिस्ट्रेशन चलाये जा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआई और ईएसआई द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा। 15 साल पूरा होने पर जिन गाड़ियों के निबंधन का नवीनीकरण नहीं कराया जाएगा और सड़कों पर चलाया जाएगा तो वैसे वाहन मालिकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन गाड़ियों को जब्त किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 16.1.2025)

2025 में सूबे के छह उत्पादों को नए साल में मिलेगा जीआइ टैग

उपलब्धि : • पहले चरण में फरवरी 2024 से आनलाइन चल रही थी कार्यवाही • दूसरे चरण में आफलाइन जीआइ कोर्ट में होनी है सुनवाई

बिहार के आधा दर्जन प्रसिद्ध उत्पाद भौगोलिक संकेतक (जीआइ टैग) को नए वर्ष में जीआइ टैग मिलने की उम्मीद है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के सहयोग से बिहार के गया का तिलकुट और पत्थलकटी, हाजीपुर का केला, नालंदा की बावनबुटी, उदवंतनगर का खुरमा और सीतामढ़ी के बालूशाही को जीआइ टैग दिलाने की प्रक्रिया चल रही है। जीआइ कार्यालय चेन्नई की ओर से सुनवाई प्रक्रिया चल रही है। पहले चरण में आनलाइन सुनवाई हुई थी, अब चेन्नई स्थित जीआइ कोर्ट में आफलाइन सुनवाई होनी है। आवश्यक कार्यवाही के बाद टैग दे दिया जाएगा। अधिसूचना प्रकाशन पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं मिलने पर जीआइ टैग मिल जाएगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन 10 वर्षों तक के लिए वैध होगा। बिहार के एक दर्जन से अधिक उत्पादों को जीआइ टैग मिल चुका है। इसमें कतरनी चावल, भागलपुरी जर्दालु आम, भागलपुरी शिल्क, मुजफ्फरपुर का शाही लीची, सिलाव खाजा, मगही पान, मधुबनी पेंटिंग, मिथिला मखाना, एप्लिक कार्य, सुजनी इमब्रोइडेरी आदि शामिल हैं।

कब किसको मिला है जीआइ

उत्पाद	वर्ष	रूप
मधुबनी पेंटिंग	2006-07	हैंडीक्राफ्ट
एप्लिक खटवा वर्क	2007-08	हैंडीक्राफ्ट
सुजनी इमब्रोइडेरी	2007-08	हैंडीक्राफ्ट
सिक्की ग्रास	2007-08	हैंडीक्राफ्ट
भागलपुर सिल्क	2012-13	हैंडीक्राफ्ट
एप्लिक खटवा लोगो	2016-17	हैंडीक्राफ्ट
सिक्की कला लोगो	2016-17	हैंडीक्राफ्ट
सुजनी कला लोगो	2016-17	हैंडीक्राफ्ट
भागलपुरी जर्दालु आम	2017-18	कृषि
कतरनी चावल	2017-18	कृषि
शाही लीची	2018-19	कृषि
सिलाव खाजा	2018-19	फूड
मंजूषा आर्ट	2021-22	हैंडीक्राफ्ट
मिथिला मखाना	2022-23	कृषि

(साभार : दैनिक जागरण, 2.1.2025)

केन्द्र न रामनगर से कच्ची दरगाह तक सिक्सलेन कॉरिडोर के लिए मंजूर किये 1082.85 करोड़ रुपये

राज्य में पटना जिले में आमस-दरभंगा राजमार्ग के हिस्से के रूप में एनएच-119डी (मौजूदा एनएच-31 के चौड़ीकरण सहित) पर रामनगर से कच्ची दरगाह तक सिक्कलेन एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के निर्माण के लिए 1082.85 करोड़ रुपए की लागत के साथ मंजूरी दी गयी है। इसकी जानकारी केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपने एक्स हैंडल पर दी है। आमस-दरभंगा परियोजना दो आर्थिक कॉरिडोर एनएच-2 (नया एनएच-19) और एनएच -57 (नया एनएच-27) के बीच सीधी कनेक्टिविटी देगी। इससे बिहार के आंतरिक हिस्सों की परिश्चम बंगाल, झारखण्ड और उत्तर-पूर्व राज्यों से कनेक्टिविटी सुधरेगी।

किशनगंज-बहादुरगंज फोरलेन की 1117.01 करोड़ के साथ मंजूरी : राज्य के किशनगंज जिले में एनएच-27 और एनएच-327इ को जोड़ने वाले एक स्पर के रूप में किशनगंज-बहादुरगंज खंड को 24,849 किमी लंबाई में फोरलेन निर्माण के लिए 1117.01 करोड़ रुपए की लागत के साथ मंजूरी केद्र सरकार ने दी है। यह परियोजना आर्थिक कॉरिडोर है।

(साभार : प्रभात खबर, 20.1.2025)

माता-पिता बच्चों को उपहार दी संपत्ति ले सकते हैं वापस

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

देखभाल न करने पर और उपेक्षा करने पर बुजुर्ग माता-पिता बच्चों को उपहार में दी गई संपत्ति की गिफ्ट डीड रद करा सकते हैं और उन्हें संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे ही मामले में माँ की याचिका पर बेटे को उपहार में दी गई संपत्ति की गिफ्ट डीड रद कर दी है।

शीर्ष कोर्ट ने गिफ्ट डीड रद करते हुए 28 फरवरी तक माँ को संपत्ति पर कब्जा देने का आदेश दिया है। इस संबंध में शीर्ष अदालत ने कहा कि सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 एक लाभकारी कानून है और इस कानून के तहत स्थापित ट्रिब्यूनल वरिष्ठ नागरिकों के संरक्षण के लिए जरूरी होने पर बेदखली का आदेश दे सकती है।

न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने गत दो जनवरी को दिए फैसले में वरिष्ठ नागरिक कानून की धारा 23 की व्याख्या करते हुए कहा कि इस धारा के तहत वरिष्ठ नागरिक को उपलब्ध राहत का कानून के उद्देश्य और कारण से संबंध है। कोर्ट ने कहा कि कुछ मामलों में हमारे देश के बुर्जुगों की देखभाल नहीं होती। ऐसे में ये चीज सीधे तौर पर कानून के उद्देश्य से जुड़ी हुई है। पीठ ने कहा कि अगर वरिष्ठ नागरिक देखभाल करने की शर्त पर संपत्ति हस्तांतरित करते हैं तो यह कानून उन्हें अधिकारों का संरक्षण करने की शक्ति देता है।

मध्य प्रदेश के इस मामले में माँ ने याचिका दाखिल कर बेटे पर देखभाल न करने और उपेक्षा का आरोप लगाते हुए उसे उपहार में दी गई संपत्ति की गिफ्ट डीड रद करने की मांग की थी। माँ ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की खंडपीठ के 31 अक्टूबर 2022 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 5.1.2025)

बिहार आई. टी. (इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) पॉलिसी-2024 के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को प्रदान किये जाने वाले प्रोत्साहनों (Incentives) में SGST प्रतिपूर्ति को भी सम्मिलित किया गया है। इस संबंध में सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना संख्या F-193/9/2022-SECTION-6-ITDPT- ITDEPT-90 दिनांक 16 जनवरी 2025 की प्रति सम्मानित सदस्यों की सूचनार्थ उद्धृत है:

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 माघ 1946 (श.)

(सं. पटना 79) पटना, सोमवार, 27 जनवरी 2025

सं. **F- 193/9/2022- SECTION- 6 - ITDPT - ITDEPT -90**

सूचना प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

16 जनवरी 2025

विषय :- बिहार आई. टी. (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) पॉलिसी-2024 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयों को प्रदान किये जाने वाले प्रोत्साहनों (इनसेंटिव्स) में एसजीएसटी प्रतिपूर्ति को सम्मिलित करने के संबंध में।

राज्य में समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएँ, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाईन एवं मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने तथा लाभकारी रोजगार सृजन के उद्देश्य से विभागीय संकल्प सं.-78 दिनांक 09.01.2024 के द्वारा बिहार आईटी पॉलिसी 2024 निर्गत किया गया है। इस पॉलिसी के अन्तर्गत विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन यथा-पूँजी निवेश सब्सिडी/ब्याज अनुदान सब्सिडी, लीज रेंटल सब्सिडी, विद्युत बिल सब्सिडी एवं रोजगार सृजन सब्सिडी प्रदान किया जाना है।

2. उद्योग विभाग के संकल्प सं.-108 दिनांक 20.01.2020 में एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के प्रावधान निहित है। इसके समरूप ही बिहार आई. टी. पॉलिसी 2024 के कंडिका- 7.6 के रूप में एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के प्रावधान को निम्नलिखित रूप में सम्मिलित किया जाता है:-

1. सभी पात्र औद्योगिक इकाईयों को उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से 5 वर्षों तक उनके द्वारा आईजीएसटी तथा एसजीएसटी के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में तत्समय उपलब्ध एवं अनुमान्य राशि के उपभोग के पश्चात् इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के माध्यम से जमा किए गए एसजीएसटी मद् की राशि की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जायेगी तथा शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्त्ति का संचयी मूल्य किसी भी परिस्थिति में पात्र निश्चित पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा वाणिज्य-कर विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर संगणित एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति की जायेगी। उक्त प्रतिपूर्ति निम्न शर्त्तों के अधीन दी जायेगी :-

(क) इकाईयों द्वारा वार्षिक आधार पर प्रतिपूर्ति का दावा विहित प्रपत्र में किया जायेगा;

(ख) पात्र इकाई द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के माध्यम से जमा करायी गयी कर की राशि का सत्यापन दाखिल किये गये विवरणियों एवं प्राप्त भुगतान के आधार पर वाणिज्य-कर विभाग द्वारा किया जायेगा;

(ग) इकाई द्वारा एसजीएसटी दायित्व का भुगतान के लिए तत्समय उपलब्ध आईजीएसटी तथा एसजीएसटी क्रेडिट की सम्पूर्ण राशि का उपयोग किया जायेगा तथा शेष एसजीएसटी कर दायित्व का निर्वहन उनके इलेक्ट्रोनिक कैश लेजर के माध्यम से किया जायेगा। उपलब्ध क्रेडिट का पूर्ण उपयोग नहीं किये जाने की स्थिति में ऐसे उपलब्ध एवं अप्रयुक्त क्रेडिट की राशि को इकाई को अगले एसजीएसटी प्रतिपूर्ति हेतु दावा की गई राशि में से घटा दी जायेगी, यदि इकाई को प्रतिपूर्ति की अगली किस्त भी देय है। प्रतिपूर्ति की अगली किस्त देय नहीं होने की स्थिति में उक्त राशि के समतुल्य राशि राजकोष में जमा करने के लिए इकाई के निवेशक उत्तरदायी होंगे तथा निवेशक द्वारा राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में विभाग द्वारा उक्त राशि की वसूली की जायेगी।

(घ) इकाई द्वारा राज्य में आपूर्त्ति के पश्चात् किसी भी प्रक्रम पर किसी निर्बंधित व्यवसायी द्वारा ऐसे माल की अंतर्राज्यीय आपूर्त्ति (विक्रय अथवा भंडार अंतरण) किये जाने की दशा में ऐसे अंतर्राज्यीय आपूर्त्ति के मद् में देय आईजीएसटी के भुगतान हेतु प्रयुक्त एसजीएसटी के क्रेडिट के समतुल्य राशि पात्रता प्राप्त इकाई से वसूलनीय होगा एवं ऐसी वसूली उक्त इकाई को प्रतिपूर्ति की जाने वाली अगली किस्त में समायोजन के माध्यम से की जायेगी, यदि इकाई को प्रतिपूर्ति की अगली किस्त भी देय है। प्रतिपूर्त्ति की अगली किस्त देय नहीं होने की दशा में इकाई द्वारा उक्त राशि के समतुल्य राशि राजकोष में जमा कराया होगा तथा जमा नहीं कराये जाने की दशा में यह राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलनीय होगी।

(ङ) उप-कंडिका (ग) एवं (घ) के अधीन प्रतिपूर्ति योग्य/ वसूलनीय/ सामंजन योग्य/ जमा करायी जाने वाली राशि की गणना वाणिज्य-कर विभाग द्वारा आवेदक इकाई एवं अन्य सम्बद्ध व्यवसायियों द्वारा दाखिल विवरणी के आधार पर की जायेगी एवं इसे सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार को संसूचित की जायेगी तथा ऐसे मामलों में वसूली सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा की जायेगी।

II. उपर्युक्त कंडिका (I) के उप कंडिकाओं के प्रयोजनार्थ पात्र इकाई द्वारा एसजीएसटी के भुगतान हेतु उपभोग की गयी आईजीएसटी एवं एसजीएसटी के क्रेडिट के प्रमाणीकरण, ऐसे क्रेडिट में सन्निहित राशि के प्राप्त होने की सम्पुष्टि, इकाई को अनुमान्य प्रतिपूर्ति की गणना एवं इसके संसाधन की प्रक्रिया हेतु वाणिज्य-कर विभाग द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये जा सकेंगे।

III. कुल शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा एफसीआई की 100 प्रतिशत होगी। हालाँकि, वार्षिक शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति एफसीआई की अधिकतम 20 प्रतिशत होगी।

IV. स्थापित क्षमता के 50 प्रतिशत से कम उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाईयों को एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति अनुमान्य नहीं होगी।

V. बिहार आई. टी. पॉलिसी 2024 के तहत पात्र आईटी/आईटीईएस और ईएसडीएम इकाईयों को शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति दो जाएगी और यदि ऐसी इकाई व्यापारिक व्यवसाय में भी लगी हुई है तो व्यापारिक व्यवसाय के माध्यम से उत्पन्न ऐसी बिक्री /आपूर्ति के लिए शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

VI. यदि पात्र इकाई के द्वारा उच्च प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए मध्यस्थ/मार्केटिंग नेटवर्क/ या किसी अन्य बिचौलियों के माध्यम से इंटर-स्टेट आपूर्ति को इन्ट्रा-स्टेट आपूर्ति के रूप में दिखाया जाता है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके द्वारा नियंत्रित हो, तो पात्र इकाईयों को मिलने वाला लाभ उल्लंघन की तारीख से रद्द कर दिया जायेगा तथा इकाई 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ प्राप्त कुल प्रोत्साहन राशि विभाग को तुरंत वापस करने के लिए उत्तरदायी होगी।

3. नीति के अनुवादित संस्करण के अर्थ और व्याख्या में किसी विसंगति के मामले में, अँग्रेजी भाषा संस्करण सभी मामलों में बाध्यकारी तथा अभिप्रभावी होगा।

4. उक्त संकल्प को दिनांक-10.01.2025 को मद संख्या-15 के रूप में मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अभय कुमार सिंह,

सरकार के सचिव।

(साभार : हिन्दुस्तान, 25.1.2025)

तीसरी बार यातायात नियम तोड़ने वाले 10 हजार के डीएल रद्द होंगे

यातायात पुलिस ने संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों को कार्रवाई के लिए की अनुशंसा

राज्यभर में पिछले डेढ़ साल के दौरान ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले जितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उन सभी का डिजिटल डाटा तैयार कर लिया गया है। इसमें तीन बार या इससे अधिक बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 10 हजार से अधिक लोगों को चिन्हित किया गया है।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 14.1.2025)

नवादा बनेगा नवीकरणीय ऊर्जा का हब

बिहार में नवादा नवीकरणीय ऊर्जा का हब बनेगा। उद्योग विभाग को इस क्षेत्र में मिले निवेश के दस में से छह प्रस्ताव नवादा के लिए ही हैं। इससे यहाँ सौर ऊर्जा से 4000 मेगावाट और पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट से 36500 लाख किलोवाट प्रति वर्ष उत्पादन होगा।

ये सभी निवेश प्रस्ताव सन पेट्रोकेमिकल्स के हैं। राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। इसी के साथ बिहार बिजनेस कनेक्ट के तहत हुए निवेशक सम्मेलन में निवेशकों की ओर से आए निवेश प्रस्तावों पर अमल शुरू हो गया है। निवेशक सम्मेलन में आए निवेश प्रस्तावों में सबसे ज्यादा सन पेट्रोकेमिकल की ओर से ही थे। सन पेट्रोकेमिकल की ओर से इन छह प्रस्तावों में 27 हजार 921 करोड़ रुपये अधिक का निवेश होगा। इससे पहले नवादा के फुलवारिया डैम में बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की बैठक में आए अन्य चार प्रस्तावों में से दो पटना, एक कैमूर और एक पश्चिम चंपारण के हैं। पश्चिम चंपारण के कुमारबाग में कंप्रेस्ड बायोगैस गैस प्लांट और जैविक खाद निर्माण की इकाई लगेगी। इस पर 25 करोड़ 65 लाख रुपये का निवेश होगा। वहीं, कैमूर के चिपाली में सोलर पैनल लगेगा। यहाँ 15 करोड़ 84 लाख रुपये का निवेश होगा। पटना बख्तियारपुर में तेलमर के पास और फतुहा औद्योगिक क्षेत्र में रूफ टॉप सोलर पावर सिस्टम लगेगा।

बक्सर-मोतिहारी में फोर स्टार होटल को मंजूरी : पटना में दो नए अस्पताल निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसमें एक दीघा- आशियाना रोड और दूसरा खगौल में है। इनपर 11 करोड़ 50 लाख रुपये निवेश प्रस्तावित है। पर्यटन नीति के तहत बक्सर और मोतिहारी में फोर स्टार होटल निर्माण को मंजूरी दी गई है। मोतिहारी में होटल निर्माण पर 15 करोड़ और बक्सर में 20 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।

वैशाली, मधुबनी, किशनगंज में वेयरहाउस : राज्य में वेयरहाउस को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे संबंधित वैशाली, मधुबनी और किशनगंज में एक-एक प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वैशाली में एसएलएमजी बेवरेज की ओर से 145 करोड़ 92 लाख, लीप एग्री लॉजिस्टिक की ओर से मधुबनी में 93 करोड़ 98 लाख निवेश प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।

पटना में चार आईटी कंपनियाँ करेंगी निवेश : इसके अलावा आईटी सेक्टर की पाँच कंपनियों की ओर से 314 करोड़ रुपये निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसमें भारती एयरटैल, जय कृष्णा टेक्नोलॉजी, एआईटीएमसी की ओर से बिहटा, सुपर सेवा ग्लोबल की ओर से बेला और गौतम टेक की ओर से पाटलिपुत्रा में

प्लास्टिक और रबड़ के तीन प्रस्ताव को मंजूरी : प्लास्टिक और रबड़ क्षेत्र के तीन निवेश प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसमें एक पटना, एक भोजपुर और एक मुजफ्फरपुर के है। इस पर 7 करोड़ 68 लाख रुपये निवेश प्रस्तावित है। इसके अलावा वस्त्र एवं चर्म उद्योग क्षेत्र में चार कंपनियों के 67 करोड़ 55 लाख रुपये निवेश प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 4.1.2025)

जीएसटी के तहत टिन नंबर प्राप्त करने के नियम जारी

सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम (सीबीआईसी) ने टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर (टिन) जारी करने के लिए जीएसटी नियमों में बदलाव किए हैं।

सेंट्रल जीएसटी कानून में नियम 16ए पेश करते हुए सीबीआईसी ने कहा, 'जिन व्यक्ति या संस्थाओं को जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन जीएसटी अधिनियम प्रावधान के तहत टैक्स भुगतान करना जरूरी है। वे अब एक अस्थायी पहचान संख्या (टिन) प्राप्त कर सकते हैं। जीएसटी नियमों के तहत, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में क्रमशः 40 लाख और 20 लाख रुपए के सालाना कारोबार वाले बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जीएसटी काउंसिल ने पिछले महीने उन संस्थाओं को टिन जारी करने का फैसला किया था, जिन्हें अन्यथा जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। इससे नियमित रूप से टैक्सेबल एक्टिविटीज में शामिल नहीं होने वाले लोगों पर कम्पलायंस का बोझ घटेगा। इसके साथ ही टैक्स का सुचारू भुगतान सुनिश्चित होगा।

(साभार : दैनिक भास्कर, 25.1.2025)

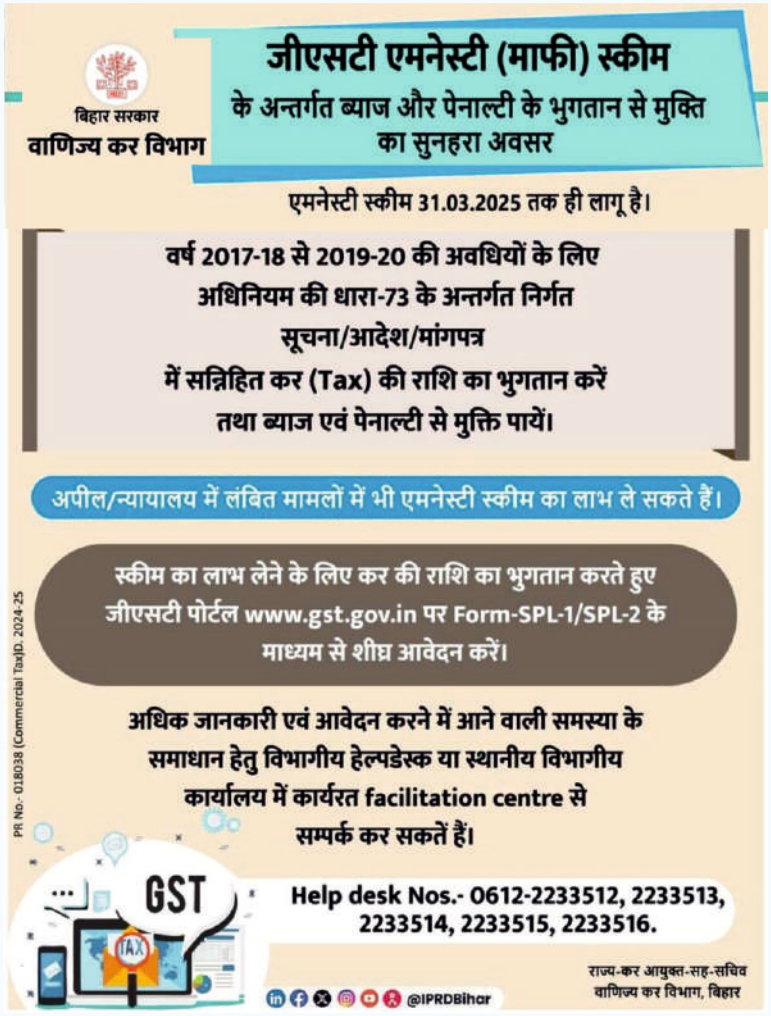

(साभार : हिन्दुस्तान, 16.1.2025)

जमीन की खरीद-बिक्री होने पर जमाबंदी के लिए अलग से आवेदन नहीं देना होगा

खरीदारों को सुविधा • पायलट प्रोजेक्ट के तहत संपतचक और फतुहा निबंधन कार्यालय से शुरूआत

लोग वही जमीन खरीदें जिसकी जमाबंदी बेचने वाले के नाम पर ही हो

जमीन को खरीद-बिक्री होने पर जमाबंदी के लिए अलग से आवेदन नहीं देना होगा। इसकी शुरूआत मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत पटना जिले के संपतचक, फतुहा और मुजफ्फरपुर जिले के सकरा निबंधन कार्यालय से की जा रही है। इसके साथ ही विभाग ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को अंचल कार्यालयों में जमाबंदी संबंधी दस्तावेज को अपडेट कराने का पत्र लिखा है ताकि इसको सफलता से लागू किया जा सके। अधिकारियों के मुताबिक, निबंधन विभाग के पत्र के आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किए जाने वाले तीनों निबंधन कार्यालय से जुड़े अंचलाधिकारियो समेत सभी अंचल कार्यालयों की जमाबंदी की अपडेट करने का निर्देश दिया है। वहीं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आमलोगों से विक्रेता के नाम से जमाबंदी होने पर ही प्लॉट खरीदने की अपील की है। यदि संयुक्त जमाबंदी से जमीन खरीदनी हो तो हिस्सेदार वाले रैयत से लिखित सहमति लेने की अपील की है ताकि विवाद की संभावना नहीं रहे। इसके साथ ही जमाबंदी में परेशानी नहीं हो।

संयुक्त जमाबंदी वाली जमीन पर ही ज्यादा विवाद : राज्य में संयुक्त जमाबंदी से खरीद-बिक्री होने वाली जमीन पर सबसे अधिक विवाद होता है। जमीन की खरीद-बिक्री होने पर खरीदार के नाम से अलग जमाबंदी कायम होने के समय अंचलाधिकारी के पास मामला पहुँचता है। ऐसे में जमाबंदी अलग कायम करने में परेशानी होती है। मामले की सुनवाई कर अलग से कायम करने में अधिक समय लगता है।

ऐसी स्थिति में खारिज होगी जमाबंदी : जमाबंदी के लिए आवेदन में अन्य हिस्सेदारों से संबंधित तथ्य गलत होने पर आपका आवेदन खारिज होगा। ऐसी स्थिति में जमाबंदी कायम कराने के लिए भूमि सुधार उपसमाहर्ता के न्यायालय में अपील दायर करनी होगी। संयुक्त दस्तावेज से जमाबंदी को अलग कराने के लिए वंशावली अपडेट करने के साथ सहमति बंटवारा पत्र या न्यायालय के आदेश पर होने वाले बंटवारा पत्र देना अनिवार्य है।

(साभार : दैनिक भास्कर, 12.1.2025)

ग्राहकों को निश्चित ब्याज वाले उत्पाद पेश करें बैंक

आरबीआइ ने कहा- ब्याज दर किसी भी तरह से तय की गई हो, लेकिन यह सभी पर्सनल लोन खंड में अनिवार्य होगा

आरबीआइ ने कहा कि बैंकों को समान किस्त आधारित पर्सनल लोन खंड में अनिवार्य रूप से निश्चित ब्याज दर के उत्पाद पेश करने होंगे। 'समान मासिक किस्त (ईएमआइ) आधारित पर्सनल लोन खंड पर फ्लोटिंग ब्याज दर को रीसेट करना' पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) में यह भी कहा गया है कि परिपत्र सभी समान किस्त आधारित व्यक्तिगत ऋणों को कवर करता है, भले ही ब्याज दर किसी बाहरी बेंचमार्क या आंतरिक बेंचमार्क से जुड़ी हो।

ऋणों की मंजूरी के समय, वार्षिक ब्याज दर/वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर), जैसा भी लागू हो, उसे ऋण समझौते में प्रकट किया जाना चाहिए। एफएक्यू में यह भी बताया गया है कि बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं (आरई) को

उधारकर्ता के साथ कब और कितनी बार संवाद करना चाहिए। ऋण की अवधि के दौरान, बाहरी बेंचमार्क दर के कारण ईएमआइ/अवधि में किसी भी वृद्धि को सूचित किया जाना चाहिए। ऋण लेने वाले को त्रैमासिक विवरण प्रदान करना होगा, जिसमे कम से कम आज तक वसूले गए मूलधन और ब्याज ईएमआइ राशि, शेष ईएमआइ संख्या और ऋण की अवधि के लिए वार्षिक ब्याज दर की जानकारी देनी होगी।

(साभार : दैनिक जागरण, 11.1.2025)

The Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) announced a waiver of late fees for delayed filings of reconciliation statements and annual returns (GSTR-9C) for the financial years 2017-18 to 2022-23. Taxpayers must file the reconciliation statement by March 31, 2025, to avail the waiver.

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)
NOTIFICATION
New Delhi, the 23rd January, 2025
No. 08/2025 - CENTRAL TAX

S.O.419(E).— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee referred to in section 47 of the said Act in respect of the return to be furnished under section 44 of the said Act, for the financial years 2017-18 or 2018-19 or 2019-20 or 2020-21 or 2021-22 or 2022-23, which is in excess of the late fee payable under section 47 of the said Act upto the date of furnishing of FORM GSTR-9 for the said financial year, for the class of registered persons, who were required to furnish reconciliation statement in FORM GSTR-9C along with the annual return in FORM GSTR-9 for the said financial year but failed to furnish the same along with the said return in FORM GSTR-9, and furnish the said statement in FORM GSTR-9C, subsequently on or before the 31st March, 2025:

Provided that no refund of late fee already paid in respect of delayed furnishing of FORM GSTR-9C for the said financial years shall be available.

[F. No. CBIC-20001/15/2024-GST]
RAUSHAN KUMAR, Under Secy.

वेजफेड के जरिए शुरू हुआ टमाटर का प्रसंस्करण

सहकारिता विभाग की एजेंसी वेजफेड के जरिए राज्य में टमाटर का प्रसंस्करण शुरू हो गया है। टोमैटो सॉस और केचअप तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

पहले खेप में 180 मीट्रिक टन टमाटर की प्रोसेसिंग वैशाली जिला में स्थित प्रोसेसिंग यूनिट में की गई। इस माह तक राज्य के किसानों से खरीद कर 6 करोड़ से अधिक मूल्य के टमाटरों की प्रोसेसिंग का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि सहकारिता विभाग ने पिछले दिनों किसानों को टमाटर के पौधे उपलब्ध कराए थे। 1480 एकड़ भूमि पर टमाटर की खेती का लक्ष्य है। सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने इस उपलब्धि पर वेजफेड को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के सब्जी उत्पादक किसानों को स्थायी बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही प्रोसेसिंग किस्म के आलू का भी मूल्यसंवर्द्धन कर चिप्स, फिंगर फ्राई आदि तैयार कराया जाएगा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 12.1.2025)

बैंकों के जुर्माने पर जीएसटी नहीं लगेगा

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा वसूले जाने वाले जुर्माना शुल्क पर जीएसटी लागू नहीं होगा। बोर्ड ने एक परिपत्र के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पेमेंट एग्रीगेटर्स द्वारा 2, 000 रुपये तक के लेनेदेन पर जीएसटी नहीं लगेगा। सीबीआईसी ने कहा कि आरबीआई द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा लगाया गया जुर्माना शुल्क, ऋण अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन के लिए होता है, इसलिए यह जीएसटी के दायरे में नहीं आता।

(साभार : हिन्दुस्तान, 29.1.2025)

बिहटा, धनरुआ और बाढ़ में औद्योगिक क्षेत्र होंगे विकसित

जगह चिह्नित करने का काम शुरू, तीनों जगह पर 500 एकड़ में लगेंगे उद्योग धंधे

पटना जिले में तीन जगहों पर पाँच-पाँच सौ एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे। इसके लिए भूमि चिह्नित करने का काम शुरू हो गया है। फरवरी तक तीनों जगहों पर भूमि चिह्नित कर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। औद्योगिक नगर को मुख्य रूप से बियाडा के द्वारा विकसित किया जाना है, जिसमें अलग-अलग सेक्टर के उद्योग धंधे लगाए जाएँगे। वर्तमान समय में पटना जिले में तीन औद्योगिक क्षेत्र हैं।

पटना में वर्तमान समय में पाटलिपुत्र (50 एकड़), फतुहा (300 एकड़) तथा बिहटा के सिकंदरपुर मौजा में (300) औद्योगिक क्षेत्र है। तीन और औद्योगिक क्षेत्र बनने के बाद जिले में इसकी संख्या छह हो जाएगी। लेकिन इस बाद पाँच सौ एकड में एक औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाना है। अधिकारियों का कहना है कि मार्च तक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने की योजना है। सबसे पहले धनरूआ में भूमि अधिग्रहण का काम होगा।

कहाँ प्रस्तावित है औद्योगिक क्षेत्र : • **बिहटा :** पटना रिंग रोड में कन्हौली से शेरपुर रोड में या पटना-सासाराम फोरलेन के किनारे • **धनरुआ :** भारत माला फोरलेन के किनारे • **बाढ़ :** पटना-मोकामा फोरलेन से सटे हुए

धनरुआ में पाँच मौजा में जमीन का प्रस्ताव : धनरुआ अंचल में पाँच मौजा की 482 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने का प्रस्ताव जिला प्रशासन को प्राप्त हो गया है। इसमें नदपुरा मौजा के थाना संख्या 119 में 119 एकड़ भूमि, भखरी मौजा के थाना संख्या 155 में 133 एकड़ भूमि, जगदरी मौजा के थाना संख्या 120 में 57 एकड़, जलालपुर मौजा के थाना संख्या 144 में 71 एकड़, धनरुआ मौजा के थाना संख्या 111 में 102 एकड़ भूमि औद्योगिक नगर के लिए चिह्नित किया गया है। धनरुआ अंचलाधिकारी की ओर से इन मौजों में भूमि अधिग्रहण करने से संबंधित प्रस्ताव जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को दे दिया गया है।

फतुहा में 250 एकड़ में बनेगा औद्योगिक पार्क : फतुहा

अंचल के जैतिया मौजा में औद्योगिक पार्क के लिए भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है। इसमें लगभग 400 के करीब किसानों के भूमि के मुआवजा की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। फरवरी माह तक यह भूमि उद्योग विभाग को हैंडओवर होने की संभावना है इसके बाद यहाँ औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। औद्योगिक पार्क ऐसा जगह है जहाँ रेल और सड़क मार्ग दोनों से जुड़ा रहेगा। यहाँ मालवाहक गाडियों के ठहराव की भी व्यवस्था रहेगी।

"बिहटा, बाढ़ और धनरुआ में औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि चिह्नित करने के लिए संबंधित एसडीएम को पत्र भेजा गया है। इसमें यह देखा जा रहा है कि जहाँ भी भूमि अधिग्रहित हो वहाँ स्थानीय लोगों का कम नुकसान हो।" **– डॉ. चन्द्रशेखर सिंह,** डीएम, पटना

(साभार : हिन्दुस्तान, 4.1.2025)

फरवरी से प्लाइवुड उत्पाद पर आइएसआइ मार्का अनिवार्य

सूबे में प्लाइवुड और वुड बेस्ड बोर्ड्स के 400 से अधिक यूनिट, इनमें केवल 45 ने लिया है लाइसेंस

फरवरी माह से प्लाइवुड और वुड बेस्ट बोर्ड्स उत्पाद पर आइएसआइ मार्का अनिवार्य हो जायेगा। इस संबंध में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। यह आदेश वुड बेस्ड बोर्ड्स, प्लाइवुड और लकड़ी के फ्लैश डोर शटर पर लागू होगा। इसके लिए भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। कानून का उल्लंघन करने वाले यूनिट को कम-से-कम दो लाख रुपये का जुर्माना और दो साल की सजा का प्रावधान किया गया है। जानकारी के अनुसार राज्य में 400 से अधिक छोटे-बड़े प्लाइवुड और बुड वेस्ट बोडर्स तैयार करने वाले यूनिट हैं। इनमें से केवल 45 यूनिट ने ही भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस लिया है। यानी सूबे में 350 से अधिक यूनिट बिना लाइसेंस के चल रहे हैं। ये यूनिट पटना, फतुहा, हाजीपुर, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी में चल रहे हैं।

लघु उद्योग पर यह आदेश 28 मई से प्रभावी होगा : एस. के. गुप्ता ने बताया कि बिहार में प्लाइवुड की विभिन्न श्रेणियों के तहत प्लाइवुड, ब्लॉक बोर्ड, दरवाजा, सेंटरिग प्लाइ, मरीन प्लाइ आदि का उत्पादन हो रहा है। 11फरवरी से बुड बेस्ड बोर्ड्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 लागू होगा। हालांकि, लघु उद्योग को लाइसेंस लेने में छूट दी गयी है। इस पर यह आदेश 11 मई से लागू होगा। वहीं प्लाइवुड और लकड़ी के फ्लैश डोर शटर गुणवत्ता (नियंत्रण) आदेश 28 फरवरी से लागू होगा। लेकिन लघु उद्योग पर यह आदेश 28 मई से प्रभावी होगा।

आइएसआइ मार्का के संबंध में चलाया गया था जागरूकता अभियान : निदेशक एस. के. गुप्ता ने बताया कि इसके पूर्व पिछले पूरे साल लाइसेस लेने और आइएसआइ मार्का के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया गया था। अब बिना आइएसआइ मार्का प्लाइवुड और उससे संबंधित उत्पाद के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने बताया कि कानून का उल्लंघन करने वाले यूनिट को कम-से-कम दो लाख रुपये का जुर्माना और कम-से-कम दो साल की सजा का प्रावधान किया गया। दोबारा गलती करने पर पाँच लाख रुपये का जुर्माना और पकड़े गये सामान के मूल्य का 10 गुना जुर्माना देना पड़ सकता है।

(साभार : प्रभात खबर, 29.1.2025)

सुविधा : पटना में 4 अंचल बनाए गए, कामकाज शुरू

पटना सदर अंचल को विभाजित कर दिया गया। पटना सदर के विभाजन के बाद तीन नए अंचल कार्यालय अस्तित्व में आ गए। पटना सदर अंचल के अतिरिक्त पाटलिपुत्र अंचल, पटना सिटी अंचल और दीदारगंज नए अंचल बने हैं।

सभी अंचलों के डेटा बेस को उन अंचलों के नाम पर ऑनलाइन कर दिया गया है। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह द्वारा संकल्प जारी कर दिया गया। गौरतलब है कि प्रशासनिक दृष्टि कोण और राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ तथा आमजन के लिए संवेदनशील बनाने के लिए पटना सदर अंचल और नगर क्षेत्र में मौजूद हलका को चार अंचलों में विभाजित किया गया है। विभाग के अनुसार, पटना सदर अंचल के क्षेत्रफल और जनसंख्या के दृष्टि कोण से काफी विस्तृत होने और अंचल में राजस्व कार्यों के ससमय निबटारे में काफी कठिनाइयों को देखते हुए ऐसा किया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने बताया कि पटना सदर अंचल के साथ अब नवगठित पाटलिपुत्र, पटना सिटी और दीदारगंज अंचल अस्तित्व में आने के बाद वहाँ अंचल अधिकारियों एवं राजस्व अधिकारियों को पदस्थापित करने की कार्रवाई चल रही है। बताया कि उपरोक्त निर्णय पटना के जिलाधिकारी और प्रमंडलीय आयुक्त के प्रस्ताव के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से लिया गया है। कहा कि इससे आम लोगों को फायदा होगा। वे भीड़ भाड़ से बच सकेंगे और उन्हें काम कराने में सुविधा होगी।

किस अंचल में कौन से थाना क्षेत्र : 1. अब पटना सदर अंचल में बुद्धा कॉलोनी, कोतवाली, श्रीकृष्णापुरी, जक्कनपुर, गाँधी मैदान, पीरबहोर, कदमकुआँ, कंकड़बाग, पत्रकारनगर और सचिवालय थाना क्षेत्र रहेंगे। जबकि राजापुर, मीठापुर, कंकड़बाग और बांकीपुर हल्का को इसमें शामिल किया गया है। 2. नवगठित पाटलिपुत्र अंचल में दीघा, राजीवनगर, पटना हवाईअड्डा, पाटलिपुत्रा, शास्त्री नगर एवं गर्दनीबाग थाना के क्षेत्र रहेंगे। जबकि, दीघा, शेखपुरा और चितकोहरा हल्का को शामिल किया गया है। 3. पटना सिटी अंचल में बहादुरपुर, सुल्तानगंज, आलमगंज, खाजेकलाँ, चौक, मालसलामी, मेहदीगंज एवं अगमकुआँ थाना क्षेत्र के इलाके रहेंगे। जबकि, किलेदारी, अजीमाबाद, सैदपुर, कुम्हरार हल्का को इसमें शामिल किया गया है। 4. नवगठित दीदारगंज अंचल में दीदारगंज, नदी और बाइपास थाना के क्षेत्र रहेंगे। जबकि, रानीपुर, नगला, सबलपुर, पुनाडीह, महुली, सोनावाँ, फतेहपुर एवं मरची हल्का को इसमें शामिल किया गया है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 25.1.2025)

EDITORIAL BOARD

Editor
PASHUPATI NATH PANDEY
Secretary General

Chairman
ASHISH SHANKAR
Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-2677605, 2677505, 2677635
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296